रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-16112021-231165 CG-DL-E-16112021-231165

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 652] No. 652] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 15, 2021/कार्तिक 24, 1943 NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 15, 2021/KARTIKA 24, 1943

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2021

सा.का.िन. 801(अ).—जबिक, विदेशियों का रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1939 (1939 का 16) की धारा 3 की अपेक्षानुसार, विदेशियों का रिजस्ट्रीकरण नियम, 1992 को और संशोधित करने के लिए कितपय प्रारूप नियम, भारत सरकार, गृह मंत्रालय अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 507(अ), 11 अगस्त, 2021 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उससे संभािवत रूप से प्रभािवत होने वाले सभी व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अविध समाप्त होने से पहले आपित्तयां और सुझाव मांगे गए थे;

और जबिक, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां 12 अगस्त, 2021 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और जबिक, केंद्रीय सरकार को जनता से कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है;

अत: अब, केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विदेशियों का रिजस्ट्रीकरण नियम, 1992 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2021 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

6618 GI/2021 (1)

- 2. विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 1992 (जिसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 7 में,-
 - (i) उप-नियम (1) का लोप किया जाएगा;
 - (ii) उप-नियम (2) के खंड (ङ) का लोप किया जाएगा;
 - (iii) उप-नियम (3) के प्रथम परन्तुक का लोप किया जाएगा;
 - (iv) उप-नियम (3) के दूसरे परन्तुक में "बशर्ते" शब्द के पश्चात आने वाले, "और" शब्द का लोप किया जाएगा;
- 3. उक्त नियम में. -
 - (i) नियम 15 का लोप किया जाएगा;
 - (ii) नियम 17 के पश्चात, निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा,
 - "18. रिपोर्टें आदि इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत की जानी हैं -
 - (1) इन नियमों के अधीन कोई आवेदन या सूचना इलेक्ट्रॉनिक ढंग के माध्यम से रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।
 - (2) यथास्थिति आवेदन या सूचना, प्राप्त होने पर, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आवेदन या सूचना की वास्तविकता का सत्यापन करेगा और यदि वह आवश्यक समझे तो, आवेदक अथवा सूचना प्रदाता को इस नियम के प्रयोजन के लिए वैयक्तिक रूप से उपस्थित होने के लिए आवेदक अथवा सूचना प्रदाता को बुलाएगा।

[फा. सं. 25022/43/2021-एफ-I]

सुमन्त सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण:-मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 318(अ) तारीख 10 मार्च, 1992 के द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित किए गए थे और संख्या सा.का.नि. 324(अ)18 मार्च, 2016 के द्वारा उनमें पिछली बार संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November, 2021

G.S.R. 801(E).—Whereas, certain draft rules further to amend the Registration of Foreigners Rules, 1992, were published as required by section 3 of the Registration of Foreigners Act, 1939 (16 of 1939), vide notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs number G.S.R. 570(E), dated the 11th August, 2021, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of thirty days from the date of publication of the said notification;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available on the 12th August, 2021;

And whereas, no objection or suggestion has been received from the public by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Registration of Foreigners Rule, 1992, namely:-

- 1. (1) These rules may be called the Registration of Foreigners (Amendment) Rules, 2021.
 - (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
- 2. In the Registration of Foreigners Rules, 1992 (hereafter referred to as the said rules), in rule 7,-

- (i) sub-rule (1) shall be omitted;
- (ii) in sub-rule (2) clause (e) shall be omitted;
- (iii) in sub-rule (3), the first proviso shall be omitted;
- (iv) in sub-rule (3), in second proviso, the word, "further" occurring after the word, "provided" shall be omitted;
- 3. In the said rule, -
 - (i) rule 15 shall be omitted;
 - (ii) after rule 17, the following rule shall be inserted,

"18. Reports etc. to be submitted in electronic form.—

- (1) Any application or information under these rules shall be submitted to the Registration Officer through the electronic mode.
- (2) On receipt of the application or information as the case may be, the Registration Officer shall verify genuineness of the application or information and, he may, if considered necessary, call upon the applicant or the informant for personal appearance of the applicant or informant for the purpose of this rule.

[F. No. 25022/43/2021-F-I]

SUMANT SINGH, Jt. Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification number G.S.R. 18(E) dated the 10th March, 1992 and last amended vide number G.S.R. 324(E) dated 18th March, 2016.